



2026:AHC:10286

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 325 वर्ष 2026

नीरज शर्मा एवं 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: सय्यद वाजिद अली

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री सैयद वाजिद अली और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि वे अपनी नियुक्ति की तारीख से ही सहारनपुर ज़िले की अलग-अलग तहसीलों में वरिष्ठ संग्रहण अमीन के पद पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके काम में जान-बूझकर रुकावटें डाली गई हैं। उत्तर प्रदेश संग्रहण अमीन सेवा नियमावली, 1974 के तहत निर्धारित वरिष्ठता, पात्रता और नियमितीकरण के आधार पर वरिष्ठ संग्रहण अमीन के पद पर स्थायी नियुक्ति देने के लिए एक चयन समिति का गठन किया गया था, और इस समिति की बैठक 30.08.2025 को बुलाई गई थी। रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, चूंकि वे 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, इसलिए 04.09.2025 को उनके नियमितीकरण की सिफारिश की गई थी।
3. वर्तमान याचिका में अंतिम निर्णय लेने की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विद्वान अपर मुख्य शासकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि रिट याचिकाकर्ताओं के दावे का निर्णय प्रमुख सचिव (राजस्व), अनुभाग-7, लखनऊ द्वारा किया जाएगा।
5. न्यायालय में दी गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए, यह रिट याचिका का इस निर्देश के साथ निस्तारण किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता 22.01.2026 तक एकमात्र प्रत्यर्थी, प्रमुख सचिव (राजस्व), अनुभाग-7, लखनऊ के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। इसके बाद, एकमात्र प्रत्यर्थी छह सप्ताह की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ताओं के दावे पर निर्णय लेगा।

जनवरी 16, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)